न्यायालय: - अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण कमांक 110 / 2010 सत्रवाद <u>संस्थिति दिनांक 11.06.2010</u>

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म०प्र०।

-अभियोजन

बनाम

सुरेन्द्र पुत्र धर्मसिंह जाटव उम्र 26 वर्ष, निवासी जामना रोड के पास नाई वाली गली रेखा नगर भिण्ड म0प्र0।

-अभियुक्त

ALIMANA PAROTA BUILTY न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री मनीष शर्मा के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क० ४७९ / २०१० इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क0 110/2010 शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्त द्वारा श्री जी०एस० गूर्जर अधिवक्ता 🔀

> //दोषमुक्ति आदेश अंतर्गत धारा 232 द.प्र.स.// //आज दिनांक 15-12-2016 को पारित किया गया//

वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी का विचारण धारा 420 बिकल्प में 01. धारा 420 / 34, 489(घ) भा0द0सं0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 15.05.2002 को दो बजे बेहट रोड मौ भिण्ड में फरियादी प्रमोद कुमार जाटव जिसे प्रबंचित किया गया है, बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया कि वह 7000/- रूपए उसे और सहआरोपी बनवारी को परिदत्त कर दे जो कि उक्त 7000/- रूपए की मूल्यवान राशि को अपने उपयोग में उसके द्वारा लाया जाएगा। उस पर यह भी आरोप है कि उसी दिनांक समय व स्थान पर सहआरोपी बनवारी के साथ फरियादी प्रमोद कुमार जाटव को प्रबंचित करने का सामान्य आशय निर्मित किया, बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया कि वह 7000/— रूपए उसे/सहआरोपी बनवारी को परिदत्त कर दे जो कि उक्त 7000/—रूपए मूल्यवान की राशि को अपने उपयोग में उसके द्वारा लाया जा सके। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर उसके द्वारा 50 एवं 100 रूपए के करेंसी नोटों की कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि करेंसी नोटों का कूट रचना किया जाना आशयित था इस प्रयोजन हेतु नोटों के नीचे सफेद कागज बांधकर और उनके ऊपर कैमिकल डालकर कॉच के टुकडे ऊपर बांध दिए जिससे कि नोट दुगुना करने हेतु कूट रचना की जा सके।

अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 13.05.2002 को फरियादी प्रमोद कुमार जो कि बेहट रोड मौ में रहता है उसके घर पर शाम के समय सुरेन्द्र सिंह निवासी जामुना रोड भिण्ड एवं बनवारी जाटव निवासी सीनोर के आए और उसके चाचा के लड़के सतीश से बातचीत कर यह बोल रहे थे कि वह 50 रूपए के नोट को 100 रूपए एवं 100 रूपए के नोट को 200 रूपए दुगुना कर देते है तुम भी पैसे दुगुना करवा लो। सतीश उसके पास आया और उससे कहा कि तुम्हारे पास रूपए हो तो दुगुना करवा लो। उसने कहा कि उसके पास अभी रूपए नहीं है एक दो दिन बाद इन्तजाम कर लेगा तब दुगुना करवा लेगा। आरोपी सुरेन्द्र बोला कि 15 तारीख तक दुगुना हो सकते है और दिनांक 15.05.2002 को बनवारी तथा सुरेन्द्र रात के नो बजे उनके यहाँ पहुँचे और नोट दुगुना करने की बात उससे की। उसने सात हजार रूपए जिनमें 51 नोट 100-100 / - रूपए के तथा 38 नोट 50-50/- रूपए के सुरेन्द्र को दिए। सुरेन्द्र ने प्रत्येक नोट के ऊपर एक-एक सफेद कागज बारी-बारी से लगाकर गड्डी बनाई और एक शीशी अपने झोला से निकालकर कैमिकल जैसा नोटों पर डाल दिया जिससे नोटों का रंग बदल गया। नोटों के ऊपर नीचे एक एक कॉच का टुकडा कपडे में बांधकर उसे दे दिया और बोले कि दो चार दिन में आएंगे तो नोट दुगुना कर देगें। दिनांक 19.05.2002 को 6 बजे सुबह बनवारी उसके पास पहुँचा और बोला कि सुरेन्द्र ने मौ बुलाया है रूपए का झोला लेकर चलो तो वह ऐमेटी से मौ के लिए आ गया। जब मौ के पास पहुँचा तो वहाँ पैशाब करने लगा इतने में बनवारी रूपए का थैला लेकर भाग गया। आरोपी के द्वारा फरियादीके साथ घोका-घडी की गई और उसके नोटों को दुगुना करने हेतु नोटों के साथ छेडछाड की गई। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना मौ में की गई जिस पर से धारा 420 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना की गई, दौराने विवेचना आरोपी को गिरफ़्तार किया गया। नोटों जिनमें 100-100 / - रूपए के 51 नोट एवं 50-50 / - रूपए के 38 नोट जिनके नम्बर

अंकित किए गए की जप्ती की गई जो कि उक्त नोट कैमिकल डालने एवं कैमिकल लगे होने से काले धब्बे लग गए। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

- 03. वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी के विरूद्ध धारा 420 बिकल्प में धारा 420 / 34, 489(घ) भा0द0सं0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।
- 04. वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी के विरूद्ध अभिलेख में कोई साक्ष्य न आने से अभियुक्त परीक्षण आवश्यक करना आवश्यक न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।
- 05. अारोपी के विरूद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:—
 - 1. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 15.05.2002 को दो बजे बेहट रोड मौ भिण्ड में फरियादी प्रमोद कुमार जाटव जिसे प्रबंचित किया गया है, बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया कि वह 7000/— रूपए उसे और सहआरोपी बनवारी को परिदत्त कर दे जो कि उक्त 7000/— रूपए की मूल्यवान राशि को अपने उपयोग में उसके द्वारा लाया जाएगा?
 - 2. क्या आरोपी के द्वारा उसी दिनांक समय व स्थान पर सहआरोपी बनवारी के साथ फरियादी प्रमोद कुमार जाटव को प्रबंचित करने का सामान्य आशय निर्मित किया, बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया कि वह 7000/— रूपए उसे/सहआरोपी बनवारी को परिदत्त कर दे जो कि उक्त 7000/—रूपए मूल्यवान की राशि को अपने उपयोग में उसके द्वारा लाया जा सके?
 - 3. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर उसके द्वारा 50 एवं 100 रूपए के करेंसी नोटों की कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि करेंसी नोटों का कूट रचना किया जाना आशयित था इस प्रयोजन हेतु नोटों के नीचे सफेद कागज बांधकर और उनके ऊपर कैमिकल डालकर कॉच के टुकडे ऊपर बांध दिए जिससे कि नोट दुगुना करने हेतु कूट रचना की जा सके?

-: सकारण निष्कर्ष:-

बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 :--

- 06. साक्ष्य की पुनरावृत्ति एवं सुगमता को देखते हुए सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 07. घटना के फरियादी / रिपोर्टकर्ता प्रमोद कुमार की विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने से उसका कथन नहीं हुआ है। अभियोजन के द्वारा साक्षी सतीश कुमार अ०सा० 1, तुलसीराम अ०सा० 2 का कथन कराया गया है।
- 08. अभियोजन साक्षी सतीश कुमार अ०सा० 1 जिसको कि सबसे पहले आरोपीगण मिलना बताया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं किया गया है। उसे अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन के आधार पर घटना की पुष्टिकारक कोई साक्ष्य नहीं आई है। अन्य अभियोजन साक्षी तुलसीराम अ०सा० 2 के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है।
- 09. यद्यपि आरोपी सुरेन्द्र का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में आया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के नाम का उल्लेख आया है उसके विरुद्ध अपराध को प्रमाणित मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई सारवान साक्ष्य नहीं होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान आरोपी से किसी प्रकार की कोई जप्ती की कार्यवाही भी नहीं हुई है। सहआरोपी बनवारी जिसका कि पूर्व में विचारण किया गया है जो कि पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है, उससे ही जप्ती की कार्यवाही होनी बताई गई है। ऐसी दशा में वर्तमान आरोपी से किसी प्रकार की कोई जप्ती होनी भी नहीं पाई जाती है जिससे कि अपराध में उसकी संलग्नता के संबंध में अथवा उसे दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु कोई साक्ष्य हो सके।
- 10. विचोरापरांत प्रकरण में आई हुई समग्र अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में आरोपी को दोषसिद्ध ठहराने हेतु कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी को धारा 420 विकल्प में धारा 420 / 34, 489(घ) भा0द0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति 100/— रूपए के 51 नोट एवं 50/— रूपए के 37 नोट अपील अवधि पश्चात् राजकोष में जमा कराए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण

जप्तशुदा एक काले रंग का थैला एवं एक नीले रंग का कपडा, दो काँच के टुकडे एवं कागज के दुकडे करीब 150 नग मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात् नष्ट किए जाए। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित 🗳 हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

STINGTO POPOLO STINGTON STINGT

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड